

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ०प्र० जल निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक 28 दिसम्बर 2016

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में नगरीय जल निकासी योजना के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद्, रामपुर में एम जफर पार्क (पुराना नाम-यूसुफ रजा खां पार्क) से स्टेडियम तक आर.सी.सी. स्लैब से नाले के ढके जाने के कार्य से सम्बन्धित प्रायोजना की निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, रामपुर के पत्र संख्या-1884/रामपुर ड्रेनेज 30/2016-17, दिनांक 22.12.2016, तथा शासनादेश संख्या-197/2016/1685/नौ-5-16-97बजट/2016, दिनांक 29.06.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरीय जल निकासी योजना के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद्, रामपुर में एम जफर पार्क (पुराना नाम-यूसुफ रजा खां पार्क) से स्टेडियम तक आर.सी.सी. स्लैब से नाले के ढके जाने के कार्य से सम्बन्धित प्रायोजना की ₹ 111.25 लाख (₹ एक करोड़ ग्यारह लाख पच्चीस हजार मात्र) पर निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-37 के राज्य सेक्टर के नगरीय जल निकासी योजना से द्वितीय किश्त के रूप में ₹ 55.62 लाख (₹ पचपन लाख बासठ हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रुपये में)

| क्र० | कार्य का नाम | शासनादेश संख्या- 197/2016/1685/नौ-5-16-97 बजट/2016, दिनांक 29.06.2016 द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति | निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष कुल अवमुक्त धनराशि | द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि |
|------|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | नगर पालिका परिषद्, रामपुर में एम जफर पार्क (पुराना नाम-यूसुफ रजा खां पार्क) से स्टेडियम तक आर.सी.सी. स्लैब से नाले के ढके जाने के कार्य से सम्बन्धित प्रायोजना | 111.25 | 55.63 | 55.62 |

(₹ पचपन लाख बासठ हजार मात्र)

- (1) स्वीकृत की जा रही धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम तथा सचिव/विशेष कार्याधिकारी/उप सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर व्यय की जायेगी।
- (2) स्वीकृत धनराशि का कोई भी अंश किसी बैंक/पोस्ट आफिस/डिपोजिट खाता/पी.एल.ए. में नहीं रखा जायेगा।
- (3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
- (4) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- (5) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (6) शासनादेश संख्या-197/2016/1685/नौ-5-16-97बजट/2016, दिनांक 29.06.2016 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (7) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को नियमानुसार संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

2- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलों की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक "2215-जलापूर्ति तथा सफाई-02-मलजल तथा सफाई-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-30प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0402-नगरीय जल निकासी कार्य-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,



(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-380/2016/4207(1)/नौ-5-16-97बजट/16 तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- मण्डलायुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।
- 3- जिलाधिकारी, रामपुर।
- 4- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, 30प्र0 लखनऊ।
- 6- निदेशक, सीएण्डडीएस, 30प्र0 जल निगम, लखनऊ।
- 7- अध्यक्ष/अधिसासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, रामपुर, उत्तर प्रदेश।
- 8- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 9- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, 30प्र0 लखनऊ।
- 10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 11- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,


(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017

आवंटन दिनांक-28/12/2016

प्रेषण संख्या:- 380
आवंटन आदेश संख्या:- 002-380-2016-4207-9-5-16-97B-16
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषदों को सहायता
04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय
02 - नगरीय जल निकासी कार्य

(धनराशि रु. में)

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम | | 35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान | योग |
|-------|----------------------------------|-----------------|---|----------------------|
| 1 | लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01-- | वर्तमान प्रगामी | 5562000 253224000 | 5562000 253224000 |
| | योग | वर्तमान प्रगामी | 5562000 253224000 | 5562000 253224000 |

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पचपन लाख बासठ हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया पच्चीस करोड़ बत्तीस लाख चौबीस हजार


(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्यधिकारी